

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

—: अधिसूचना :-

पटना, दिनांक जून, 2026

अधि०सू०सं०-01/स्था०राज०-285/2024- श्री श्रीराम सिंह, ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल, बेतिया को वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-9889 दिनांक-01.12.2015 के आलोक में दिनांक-22.06.2026 से 06.07.2026 तक कुल 15 दिनों का पितृत्व अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री सिंह के पितृत्व अवकाश की अवधि में ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल, बेतिया का अतिरिक्त प्रभार श्री राहुल कुमार, ईख पदाधिकारी, मोतिहारी को दिया जाता है।

3. श्री सिंह को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-5632 दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-8 (iii) के आलोक में उपर्युक्त अवकाश के उपभोग के उपरान्त वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वैयक्तिक दवा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. प्रस्ताव पर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(राजीव रंजन)
सरकार के अवर सचिव।

अधि०सू०सं०-01/स्था०राज०-285/2024- 1184 पटना, दिनांक 22 जून, 2026

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, बेतिया/श्री श्रीराम सिंह, ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल, बेतिया/ईख पदाधिकारी, मोतिहारी/आई०टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajesh Ji Letter
22/06/26.
सरकार के अवर सचिव।
Rajesh